न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली स्थित कैराना।
उपस्थित – इन्द्र प्रीत सिंह जोश, उच्चतर न्यायिक सेवा।
(J.O. Code- UP 1894)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–**479/2026**

कासिम पुत्र दिलशाद, निवासी ग्राम तितरवाडा, थाना कैराना, जिला शामली।

.....आवेदक/अभियुक्त,

बनाम

राज्य **.....विपक्षी,**

मु0अ0सं0 170/2026
धारा 305(ए),331(4),317(2) बी0एन0एस0
एवं 3/25 आयुध अधिनियम,
थाना कैराना, जिला शामली।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता–**श्री महफूज अली,**

राज्य– **श्री संजय सिंह चौहान, जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक,**

दिनांकः–06.04.2026

आवेदक/अभियुक्त **कासिम** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र शपथकर्ता दिलशाद पुत्र बतूना द्वारा इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वह आवेदक/अभियुक्त का पिता व पैरोकार है। आवेदक/अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र न तो सत्र न्यायालय न ही माननीय उच्च न्यायालय में योजित किया है, न ही विचाराधीन है।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/वादी पूरन द्वारा थाना कैराना में दिनांक 11.03.2026 को तहरीर इस आशय की दी गयी कि दिनांक 11.03.2026 को समय करीब एक बजे रात्रि कासिम पुत्र दिलशाद वादी के घर में घुस आया, जिसके हाथ में तमंचा था तथा उसने वादी की घडी ड्रीम केयर चोरी कर ली, जब वादी की ऑख खुली तो उसने शोर मचाया। यह व्यक्ति भाग गया। वादी की पत्नी बाहर दवाई लेने के लिए गयी थी। जब वादी की पत्नी घर पर आयी तो वादी व वादी की पत्नी ने अपने पडौसी अंकुश पुत्र वेदप्रकाश से इस बारे में रो–रोकर बताया। वादी की उम्र 75 वर्ष है। अतः रिपोर्ट दर्ज करके कार्यवाही की जाये। उक्त तहरीर के आधार पर थाने पर अभियुक्त कासिम के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 305 बी0एन0एस0 मामला पंजीकृत कराया गया। दौरान विवेचना पुलिस द्वारा दिनांक 11.03.2026 को आवेदक/अभियुक्त कासिम को गिरफ्तार किया गया तथा उसके अधिपत्य से एक अद्द तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं एक घडी ड्रीम केयर बरामद हुई। अभियुक्त से बरामदगी के आधार पर मामले में धारा 305(ए),331(4),317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त को इस मामले में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। आवेदक/ अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है, न ही उसने रात्रि में वादी के मकान में घुसकर चोरी की है और न ही उससे कोई हथियार बरामद हुआ है, दर्शायी गयी बरामदगी फर्जी व झूठी है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 12.03.2026 से जिला कारागार मुण्नगर में निरूद्ध है। उपरोक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध कर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

INDERPREET JOSH
Digitally signed by INDERPREET JOSH
Date: 2026.04.17 06:54:04 +01'00'

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त पर वादी के घर में घुसकर चोरी करने तथा चोरी की घडी व नाजायज असलहा बरामद होने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त को कक्षा–12 का छात्र होना बताया गया है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य भी प्रकाश में नहीं आया है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 12.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना यह न्यायालय जमानत का उचित आधार पाता है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अग्भियुक्त **कासिम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को अंकन 50,000/–(रू0 पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंध–पत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता हैः–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

दिनांक–06.04.2026

(इन्द्र प्रीत सिंह जोश)
सत्र न्यायाधीश,
शामली स्थित कैराना।